संख्या-1325/2026/463/22-2-2026-17(197)/2026

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 01 अक्टूबर, 2026

विषय:- केन्द्रीय कारागार इटावा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी दीपक गुप्ता उर्फ सुक्खी पुत्र श्री राधेलाल गुप्ता, निवासी जनपद-उन्नाव की सामान्य दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक(मु0) कारागार के पत्र संख्या-9469/प्रोबे0-5-दया0/ बैठक-दिनांक 09.02.2026, दिनांक 16.03.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र के द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार इटावा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी दीपक गुप्ता उर्फ सुक्खी पुत्र श्री राधेलाल गुप्ता, मो0-सर्वोदय स्कूल के पीछे खन्ती में, थाना-गंगाघाट, जनपद-उन्नाव का निवासी है। बन्दी द्वारा दिनांक 18.11.2015 को 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर वादी की नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने तथा उसके साथ बलात्कार करने का अपराध कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एस०टी०नं0-12/2016 में धारा-302/34, 201, 363, 376 (घ)/34 आई०पी०सी० के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0-22, कानपुर नगर के दण्डादेश दिनांक 06.11.2023 द्वारा आजीवन कारावास (नैसर्गिक जीवन के शेष के लिए) से दण्डित किया गया। मा० उच्च न्यायालय में बन्दी की अपील लम्बित है। बन्दी द्वारा दिनांक-17.09.2025 तक अपरिहार 09 वर्ष, 08 माह, 27 दिन तथा 10 वर्ष, 01 माह, 18 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी की आयु दिनांक 17.09.2025 तक लगभग 28 वर्ष है।

3- सिद्धदोष बन्दी दीपक गुप्ता उर्फ सुक्खी पुत्र श्री राधेलाल गुप्ता की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के प्रकरण पर समिति द्वारा विचार किया गया। जेल रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 17.09.2025 तक बन्दी की आयु लगभग 28 वर्ष एवं मा० न्यायालय द्वारा प्रदत्त आजीवन कारावास के सापेक्ष दिनांक 17.09.2025 तक अपरिहार 09 वर्ष, 08 माह, 27 दिन तथा सपरिहार 10 वर्ष, 01 माह, 18 दिन की भोगी गयी सजा के सापेक्ष समयपूर्व रिहाई होने से समाज में प्रतिकूल संदेश जाने, बन्दी द्वारा कारित अपराध की

http://shasanadesh.up.gov.in

प्रकृति नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किये जाने तथा पुलिस उपायुक्त/जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई संस्तुति नहीं किए जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी।

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार इटावा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी दीपक गुप्ता उर्फ सुक्खी (बन्दी संख्या-2012/2025) श्री राधेलाल गुप्ता, निवासी जनपद-उन्नाव की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-1325/2026/463(1)/22-2-2026 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर/उन्नाव।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार इटावा।
3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।